राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू

पीठासीन अधिकारी : श्री अभिषेक खन्ना आई0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	आदेश तिथि
07/2020	धारा 23, 25 भरण पोषण अधिनियम	07.09.2020	22.09.2020

श्री महावीरप्रसाद पुत्र स्व. अणतुराम जाति भार्गव उम्र 75 वर्ष निवासी भार्गव बस्ती, वार्ड नं. 35 चूरू मोबाईल नं. 7849928095 तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. श्री वेदप्रकाश पुत्र महावीरप्रसाद जाति भार्गव निवासी भार्गव बस्ती, वार्ड नं. 35 चूरू हाल निवासी दीपक टेण्ट एण्ड लाईट हाउस, प्लॉट नं. 74, बर्मित कॉलोनी, पुराने बस स्टैण्ड के पास, जयपुर–4 मोबाईल नं. 9929521523
2. श्री हेमराज पुत्र महावीरप्रसाद जाति भार्गव निवासी भार्गव बस्ती, वार्ड नं. 35 चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007

आदेश

प्रार्थी महावीरप्रसाद ने प्रार्थना पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी भार्गव बस्ती, चूरू का रहने वाला है प्रार्थी की उम्र 75 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थी के दो पुत्र हैं बड़ा पुत्र वेदप्रकाश जो शादीशुदा है तथा छोटा पुत्र हेमराज है। प्रार्थी की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। बड़ा पुत्र वेदप्रकाश पिछले डेढ दो साल से जयपुर में रहता है जो अच्छा भला कमाऊ है। प्रार्थी की पत्नी के स्वर्गवास के बाद प्रार्थी की बहुत दयनीय स्थिति हो गई है मैंने इसको बड़ा किया, कमाऊ बनाया और इसकी शादी पर काफी खर्चा किया परन्तु मेरा बड़ा पुत्र बुढापे में मेरे खाने पीने में, जीवन जीने में कोई सहायता नहीं करता है। मेरे द्वारा सरकार की नीति के तहत गुजारा भत्ता मांगने पर भी नहीं दे रहा है। उसने मेरी पैतृक सम्पत्ति रहने के घर में भी कमरों के ताले लगा रखे हैं। अतः न्यायहित में पीड़ित वृद्ध गरीब जो कमाने खाने में असमर्थ है, को उसके पुत्र वेदप्रकाश से गुजारा भत्ता नियमानुसार दिलाने के आदेश पारित करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थीगण वेदप्रकाश व हेमराज उपस्थित आये। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने ब्यान देते हुए कथन किया कि मेरा छोटा पुत्र वर्तमान में मेरे साथ रहता है तथा मेरे खाने आदि की व्यवस्था करता है परन्तु बड़ा पुत्र जयपुर रहता है तथा मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं करता है। उसने कमरों के भी ताले लगा रखे हैं। इसलिए मुझे बड़े पुत्र से नियमानुसार गुजारा भत्ता दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 ने निवेदन किया कि वह जयपुर रहकर किराये का टेम्पो चलाता है तथा किराये के मकान में रहता है। अप्रार्थी के तीन पुत्र–पुत्रियां व पत्नी है। अप्रार्थी की आय सीमित है जिससे अपने बाल–बच्चों के पालन पोषण के बाद अपने पिता को गुजारा भत्ता देने लायक शेष कुछ नहीं बचता। मेरे पिता का स्वभाव ठीक नहीं है फिर भी मैं अपने पिता को अपने साथ जयपुर रखने एवं उनके खाने–पीने की व्यवस्था कर सकता हूं। प्रार्थी चाहे तो अपनी सम्पत्ति से मुझे बेदखल कर सकता है। अतः मेरी पारिवारिक व आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आदेश फरमावें।

प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सुना जाकर प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिससे परिलक्षित होता है कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 उसके पुत्रगण हैं। अप्रार्थीगण प्रार्थी के पुत्र होने से उनका नैतिक दायित्व एवं कर्त्तव्य बनता है कि वे अपने पिता की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल करें। प्रार्थी का छोटा पुत्र उसके साथ रहकर प्रार्थी की देखभाल करता है। प्रार्थी को 750/– रू0 प्रतिमाह वृद्धावस्था पेन्शन एवं सरकारी सस्ता राशन भी मिलता है। प्रार्थी व उसका छोटा पुत्र पूजा पाठ करते हैं जिससे भी प्रार्थी को आय होती है। प्रार्थी का बड़ा पुत्र जयपुर परिवार सहित किराये के मकान में रहता है तथा ऑटोरिक्शा चलाकर अपनी आजीविका चलाता है। उसकी मासिक आय सीमित ही प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के लिये यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि वह अपने पिता को गुजारे भत्ते के रूप में मनचाही राशि प्रतिमाह दे सके। फिर भी प्रार्थी की वृद्धावस्था को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी को अप्रार्थी सं. 1 वेदप्रकाश से उसकी मासिक आय को ध्यान में रखते हुए 500/– रू. प्रतिमाह दिलावाया जाना न्यायोचित मानते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 को आदेश दिया जाता है कि वह माह सितम्बर, 2020 से प्रत्येक माह की 10 तारीख से पूर्व 500/– रू. प्रतिमाह की दर से प्रार्थी महावीरप्रसाद के बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चूरू के खाता सं. 01300100019014 में जमा करवाये। अप्रार्थी वेदप्रकाश द्वारा आदेश की पालना नहीं करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आदेश आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.01.05 17:23:50 IST
Reason: SelfAttested